☎ कार्यालय 0135–2678078
0135–2672404
फैक्स : 0135–2672337
ई–मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय 11–मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक. 181 / नागर अनुभाग / नगरीय स्था० / 57 दिनांक 18-03-23

कार्यालय–ज्ञाप

देशभर में अवस्थापना विकसित करने के अन्तर्गत, विभिन्न Agencies द्वारा सार्वजनिक रोड़/स्थलों में की जाने वाली खुदाई के दौरान पूर्व से स्थापित भूमिगत अवस्थापना संरचनाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के उद्देश्य से विभिन्न Agencies में सामन्जस्य स्थापित किये जाने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा Call Before U Dig (CBuD) Mobile App बनाया गया है तथा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

एतद् द्वारा इस मोबाईल एप्लीकेशन हेतु निम्नानुसार एल–2, एल–3 स्तर अधिकारी नामित किये जाते हैं।

क्र0सं0	नाम/पद नाम	मोबाईल नं0	ई–मेल	स्तर
1	इं0 जी0पी सिंह महाप्रबन्धक (वा0सहा0कार्य0/जे0जे0एम0 अर्ब0)	9675608056	gmeapjjmurban@gmail.com	एल–2
2	इं0 पल्लवी कुमारी अधिशासी अभियन्ता (नगरीय)	9719410194	eenagar2015@gmail.com	एल–3

एल–4 स्तर हेतु फील्ड कार्यालयों में तैनात अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक (गंगा) को फील्ड यूनिटों के कार्यालयाध्यक्ष होने के दृष्टिगत संलग्न सूची अनुसार नामित किया जाता है।

Call Before U Dig (CBuD) Mobile App के उपयोग हेतु समस्त एल–2, एल–3 एवं एल–4 स्तर के अधिकारियों द्वारा इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्वंय का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसी के साथ–साथ निम्न निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना है:–

I. All underground utility/asset owner agencies viz. electricity cables, water-pipe, Gas-pipe, Sewerage etc. to be directed by State Govt:
   - To map contact details/escalation matrix in the "CBuD" App for receiving SMS/emails notifications.
   - To be mandated to respond to message from "CBuD" App and take actions accordingly, even if they have mapped or not mapped their assets.
   - To register their assets on PM GatiShakti NMP.

II. All excavation agencies to be mandated by State Govt:
   - To do any type of excavation only after prior intimation through "Call before u dig" App and as per its terms and conditions.
   - To use the App before commencing any type of excavation anywhere in the State.

III. All State departments to be directed to include Point 2 in the approval letter format, while granting approval for any type of excavation anywhere in the State.

उक्त समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने मोबाईल पर Call Before U Dig (CBuD) एप्लीकेशन को इन्स्टॉल कर संचालित किया जाना सुनिश्चित करेंगें। एल–4 अधिकारी उक्तानुसार सुनिश्चित करेंगें कि निर्माण कार्य हेतु गठित/प्रस्तावित अनुबन्धों अन्तर्गत

ठेकेदार ऐजेन्सियों द्वारा एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित खुदाई कार्य से पूर्व ऐप पर इसकी सूचना अंकित की जाये, जिससे अन्य Asset Owner ऐजेन्सियों को समय से जानकारी हो सके तथा सामान्य जन को खुदाई कार्य के कारण होने वाली परेशानियों को न्यून किया जाये, साथ ही साथ अनावश्यक शासकीय क्षति से बचा जा सके।

उक्त निर्देशों का शत्प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

नोटः–किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में दूरसंचार विभाग के सम्बन्धित अधिकारी श्री आलोक रंजन, ए0डी0जी0 टैलीकॉम से मो0नं0–8004000181 पर अथवा ई–मेल adgr1.ddnupw-dgt-dot@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नकः–

1. सचिव टैलीकॉम, भारत सरकार का पत्र दिनांक 02.12.2022 एवं इसके संलग्नक।
2. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.01.2023।
3. सचिव टैलीकॉम, भारत सरकार का पत्र दिनांक 07.02.2023।
4. पेयजल निगम के नामित किये जा रहे एल–4 स्तर अधिकारियों की सूची।

10/3/23
(एस0सी0 पन्त)
o/c **मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)**

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–(संलग्नक सहित)।

1. वैयक्तिक सहायक, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (ग्रामीण), उत्तर–प्रदेश (पश्चिम), उत्तराखण्ड क्षेत्रीय इकाई, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, प्रथम तल, टेलीफोन एक्सचेंज, राजपुर रोड़, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (कु0 / गढ़0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी / पौड़ी।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को उनके कार्यक्षेत्रान्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही / निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / विद्युत यांत्रिक / समस्त महाप्रबन्धक (गंगा / विश्व बैंक परियोजना / प्रधान कार्यालय) उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता (पेयजल निगम अन्तर्गत) / समस्त परियोजना प्रबन्धक (गंगा), (सिविल / विद्युत यांत्रिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम।

10/3/23
o/c **मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)**

☎ कार्यालय 0135–2678078
0135–2672404

फैक्स : 0135–2672337
ई–मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
प्रधान कार्यालय 11–मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 181 / नागर अनुभाग / नगरीय स्का० / 51 दिनांक 18-03-23

कार्यालय–ज्ञाप

देशभर में अवस्थापना विकसित करने के अन्तर्गत, विभिन्न Agencies द्वारा सार्वजनिक रोड/स्थलों में की जाने वाली खुदाई के दौरान पूर्व से स्थापित भूमिगत अवस्थापना संरचनाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के उद्देश्य से विभिन्न Agencies में सामन्जस्य स्थापित किये जाने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा Call Before U Dig (CBuD) Mobile App बनाया गया है तथा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

एतद् द्वारा इस मोबाईल एप्लीकेशन हेतु निम्नानुसार एल–2, एल–3 स्तर अधिकारी नामित किये जाते हैं।

क्र0सं0	नाम/पद नाम	मोबाईल नं0	ई–मेल	स्तर
1	इं0 जी0पी सिंह महाप्रबन्धक (बा0सहा0कार्य0/जे0जे0एम0 अर्बन0)	9675608056	gmeapjjmurban@gmail.com	एल–2
2	इं0 पल्लवी कुमारी अधिशासी अभियन्ता (नगरीय)	9719410194	eenagar2015@gmail.com	एल–3

एल–4 स्तर हेतु फील्ड कार्यालयों में तैनात अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक (गंगा) को फील्ड यूनिटों के कार्यालयाध्यक्ष होने के दृष्टिगत संलग्न सूची अनुसार नामित किया जाता है।

Call Before U Dig (CBuD) Mobile App के उपयोग हेतु समस्त एल–2, एल–3 एवं एल–4 स्तर के अधिकारियों द्वारा इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्वंय का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसी के साथ–साथ निम्न निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना है:–

I. All underground utility/asset owner agencies viz. electricity cables, water-pipe, Gas-pipe, Sewerage etc. to be directed by State Govt:
- To map contact details/escalation matrix in the "CBuD" App for receiving SMS/emails notifications.
- To be mandated to respond to message from "CBuD" App and take actions accordingly, even if they have mapped or not mapped their assets.
- To register their assets on PM GatiShakti NMP.

II. All excavation agencies to be mandated by State Govt:
- To do any type of excavation only after prior intimation through "Call before u dig" App and as per its terms and conditions.
- To use the App before commencing any type of excavation anywhere in the State.

III. All State departments to be directed to include Point 2 in the approval letter format, while granting approval for any type of excavation anywhere in the State.

उक्त समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने मोबाईल पर Call Before U Dig (CBuD) एप्लीकेशन को इन्स्टॉल कर संचालित किया जाना सुनिश्चित करेंगें। एल–4

अधिकारी उक्तानुसार सुनिश्चित करेंगें कि निर्माण कार्य हेतु गठित/प्रस्तावित अनुबन्धों अन्तर्गत ठेकेदार ऐजेन्सियों द्वारा एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित खुदाई कार्य से पूर्व ऐप पर इसकी सूचना अंकित की जाये, जिससे अन्य Asset Owner ऐजेन्सियों को समय से जानकारी हो सके तथा सामान्य जन को खुदाई कार्य के कारण होने वाली परेशानियों को न्यून किया जाये, साथ ही साथ अनावश्यक शासकीय क्षति से बचा जा सके।

उक्त निर्देशों का शतप्रतिशत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

नोटः–किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में दूरसंचार विभाग के सम्बन्धित अधिकारी श्री आलोक रंजन, ए0डी0जी0 टैलीकॉम से मो0नं0–8004000181 पर अथवा ई–मेल adgr1.ddnupw-dgt-dot@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नकः–

1. सचिव टैलीकॉम, भारत सरकार का पत्र दिनांक 02.12.2022 एवं इसके संलग्नक।
2. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.01.2023।
3. सचिव टैलीकॉम, भारत सरकार का पत्र दिनांक 07.02.2023।
4. पेयजल निगम के नामित किये जा रहे एल–4 स्तर अधिकारियों की सूची।

(एस0सी0 पन्त)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–(संलग्नक सहित)।

1. वैयक्तिक सहायक, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (ग्रामीण), उत्तर–प्रदेश (पश्चिम), उत्तराखण्ड क्षेत्रीय इकाई, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, प्रथम तल, टेलीफोन एक्सचेंज, राजपुर रोड़, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (कु0/गढ़0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी/पौड़ी।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को उनके कार्यक्षेत्रान्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही/निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/विद्युत यांत्रिक/समस्त महाप्रबन्धक (गंगा/विश्व बैंक परियोजना/प्रधान कार्यालय) उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता (पेयजल निगम अन्तर्गत)/समस्त परियोजना प्रबन्धक (गंगा), (सिविल/विद्युत यांत्रिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम।

18/3/23
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)